E-ISSN: 2583-9667
Indexed Journal
Peer Reviewed Journal
https://multiresearchjournal.theviews.in

Received: 20-05-2025
Accepted: 27-06-2025
Published: 24-07-2025

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY

Volume 3; Issue 3; 2025; Page No. 411-416

आरटीई अधिनियम 2009 की आलोचनाएँ और चुनौतियाँ को समझना

[1]Prakash Kumar Singh and [2]Dr. GP Mishra

[1]Research Scholar, India
[2]Associate Professor, Department of Education, Swami Vivekanand University, Sagar, Madhya Pradesh, India

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19204487

Corresponding Author: Prakash Kumar Singh

सारांश

शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए, हमने हितधारकों और छात्रों की 2009 के आरटीई अधिनियम से परिचितता का आकलन करने के लिए एक शैक्षणिक उपलब्धि परीक्षा और एक स्व-निर्मित अनुसूची/प्रश्नावली का उपयोग किया। पहुँच और स्कूल सुविधाएँ, प्रशिक्षक, शिक्षण-अधिगम, शिक्षा पर अभिभावकों और छात्रों के दृष्टिकोण, और वाराणसी जिला उन कई विषयों में से थे जिन्हें इस विशाल नमूना सर्वेक्षण में संबोधित किया गया था। शोध से पता चला है कि ग्रामीण बच्चों की शैक्षिक सुविधाओं में कुछ खामियाँ हैं और इन समस्याओं को दूर करने और सामान्य रूप से स्कूली शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के सुझाव दिए गए हैं। हालाँकि अध्ययन के परिणाम कुछ ज़िला-व्यापी चिंताओं पर प्रकाश डालते हैं, लेकिन वे राज्य और शहर-विशिष्ट चुनौतियों और प्रयासों को भी उजागर करते हैं।

मूल शब्दः जनगणना, अनुसूचित, जनसंख्या, चुनौतियों, शैक्षिक।

प्रस्तावना

प्रारंभिक शिक्षा लगभग हर देश या राज्य की शैक्षिक नीति का मौलिक अधिकार है। प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था का आधार है। किसी व्यक्ति के शैक्षिक-निर्माण की स्थिरता प्रारंभिक शिक्षा की नींव पर निर्भर करती है। प्रारंभिक स्कूली शिक्षा बाल विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाती है जिसका जीवन भर समग्र दृष्टिकोण और व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। प्रारंभिक शिक्षा समाजों और उनके राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक संस्थानों की उत्पादक क्षमता में सुधार करती है। यह गरीबी को कम करने में भी मदद करती है, जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण पर इसके प्रभावों को कम करती है और गरीबों द्वारा दिए जाने वाले श्रम के मूल्य और दक्षता को बढ़ाती है क्योंकि दुनिया भर में तकनीकी रूप से उन्नत उत्पादन के नए तरीकों से आर्थिक विकास हो रहा है जो एक सुप्रशिक्षित और बौद्धिक रूप से लचीली श्रम शक्ति पर निर्भर करता है, शिक्षा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रारंभिक शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य हैं: एक साक्षर और संख्यात्मक रूप से सक्षम जनसंख्या को कम करना जो घर और कार्यस्थल पर आने वाली समस्याओं से निपट सके और एक आधार के रूप में कार्य करे जिस पर आगे की शिक्षा का निर्माण हो। भारत सहित कई देशों में शिक्षा प्रणाली इन उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ है। यदि हम प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर नज़र डालें, तो स्थिति बेहद चिंताजनक प्रतीत होती है। वास्तव में, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की मुख्य समस्या में सार्वभौमिक पहुंच और प्रतिधारण, शिक्षा में लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना और बच्चों के सीखने के स्तर को बढ़ाना शामिल है।

1 अप्रैल, 2010 को लागू, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे आमतौर पर आरटीई अधिनियम 2009 के रूप में

जाना जाता है, ने भारत में शैक्षिक सुधार के एक नए युग की शुरुआत की। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित करने के उद्देश्य से, इस अधिनियम ने प्रत्येक बच्चे को अपनी संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक क्षमताओं को विकसित करने का अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया। ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने, शैक्षिक अंतराल को पाटने और सीखने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर जोर देने के साथ, अधिनियम ने अतीत की पारंपरिक शिक्षा नीतियों से एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। आरटीई अधिनियम ज्ञान-संचालित समाज के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जैसे-जैसे हम इस कानून की जटिल भूलभुलैया से गुजरते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि आरटीई अधिनियम केवल एक कानूनी ढांचा नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली साधन है, जो आने वाली पीढ़ियों के प्रक्षेपवक्र को नया रूप देने की क्षमता रखता है। हालांकि, इसका कार्यान्वयन बाधाओं के बिना नहीं रहा है, जिससे इस नेक प्रयास को रेखांकित करने वाली व्यावहारिक वास्तविकताओं और आकांक्षाओं पर महत्वपूर्ण चिंतन को बढ़ावा मिला है। इस अन्वेषण के माध्यम से, हम आरटीई अधिनियम 2009 की बारीकियों को जानने का प्रयास करते हैं, इसकी सफलताओं, चुनौतियों और भारत के विशाल विस्तार में हर बच्चे के लिए शिक्षा के अधिकार को वास्तविकता बनाने की चल रही यात्रा पर प्रकाश डालते हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 भारत में एक ऐतिहासिक कानून है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। इस अधिनियम द्वारा किए गए वादे, शिक्षा के क्षेत्र पर इसका प्रभाव और पिछले कुछ वर्षों में इसके परिणाम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने महत्वपूर्ण वादे किए हैं और भारतीय शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रभाव और परिणाम दिए हैं। हालाँकि यह नामांकन बढ़ाने और समावेशिता को बढ़ावा देने में सफल रहा है, फिर भी शिक्षा की गुणवत्ता, संसाधन आवंटन और कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। अधिनियम के वादों को पूरा करने और इसके दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन मुद्दों के समाधान हेतु निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

साहित्य की समीक्षा

कपूर, राधिका. (2018) [1]. प्रारंभिक शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस आधार को स्थापित करती है जिस पर व्यक्ति सीखता है। ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया है, जिनमें समाज के वंचित, हाशिए पर और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत पर जोर दिया गया है। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को समझना है। 1950 में, संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 45 में संकल्प लिया था कि राज्य संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तब से, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संशोधित 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित कई दस्तावेजों ने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा (यूईई) में भारत के प्रयासों को परिष्कृत करने का प्रयास किया है।

अग्रवाल, बरखा और सिंह, हितैषी। (2017) [2]। समाज के विकास में शिक्षा का एक अंतर्निहित मूल्य है और यह एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में सहायक होती है। उच्च साक्षरता और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा व्यक्ति को उपलब्ध आर्थिक और अन्य अवसरों का बेहतर उपयोग करने में सक्षम बनाती है। इसलिए, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करना देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे का नागरिक होने के नाते मूल अधिकार है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत में स्वतंत्रता के बाद से कई कदम उठाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के प्रावधान सभी बच्चों को समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों पर आधारित समान, गुणवत्ता आधारित सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। इसी श्रृंखला में सकारात्मक न्यायोचित कानूनी ढांचा जो देश भर में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार देता है, अर्थात आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम, 2009 और 2001-02 में एसएसए (सर्व शिक्षा अभियान) कार्यक्रम की शुरुआत को इस दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जाता है। हालाँकि, यह समझना भी ज़रूरी है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए सरकार द्वारा की गई ये पहल, विशेष रूप से सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के संदर्भ में, समस्या के मूल में किस हद तक पहुँच पाई हैं। इस शोधपत्र में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण कार्यक्रम की अवधारणा की समझ विकसित करने और द्वितीयक स्रोतों से उपलब्ध जानकारी और आँकड़ों तथा पूर्व शोधों की समीक्षा की सहायता से सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया

है। अंत में, यह शोधपत्र कार्यक्रम के बेहतर प्रदर्शन के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव और सिफ़ारिशें प्रस्तुत करता है।

बिस्वास, संतू. (2022) [3]. आरटीई अधिनियम के शीर्षक में 'निःशुल्क और अनिवार्य' शब्द शामिल हैं। 'निःशुल्क शिक्षा' का अर्थ है कि किसी भी बच्चे को, सिवाय उस बच्चे के जिसे उसके माता-पिता ने किसी ऐसे स्कूल में दाखिला दिलाया है जो संबंधित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी भी प्रकार का शुल्क, प्रभार या व्यय देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उसे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने और उसे पूरा करने से रोक सकता है। 'अनिवार्य शिक्षा' संबंधित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का दायित्व डालती है। इसके साथ ही, भारत एक अधिकार-आधारित ढाँचे की ओर आगे बढ़ा है जो केंद्र और राज्य सरकारों पर आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 21ए में निहित इस मौलिक बाल अधिकार को लागू करने का कानूनी दायित्व डालता है।

ओझा, गीता. (2021) [4]. शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रत्येक बच्चे को दिए गए मूलभूत अधिकारों में से एक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विभिन्न कारणों से समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कठोर पाठ्यक्रम, गैर-पहुंच, अप्रशिक्षित शिक्षक, बदमाशी और मनोवृत्ति संबंधी समस्याएं। नई एनईपी (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) 2020 कई प्रगतिशील कदम लाती है, जो आरपीडब्ल्यूडी (दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार) अधिनियम 2016 के साथ मिलकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आशा प्रदान करती है। इस लेख में, हम आरपीडब्ल्यूडी 2016 की पृष्ठभूमि में नई एनईपी 2020 में उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों की जांच करने का प्रयास करते हैं। इसकी समझ से भविष्य में जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के दौरान आने वाली बाधाओं और अंतरालों का अनुमान लगाया जा सकेगा। कुछ ऐसा जो भारत जैसे देश के लिए एक चुनौती बना हुआ है, जहां सर्वोत्तम नीतियां हैं, फिर भी कुछ ही कार्य किए गए हैं।

अमीन, रुहुल और विद्वान, पीएच. (2021) [5]। शिक्षा समाज को बदलने और हमें सामाजिक बुराइयों का सामना करने तथा शांति और सद्भाव के साथ रहने के लिए जागरूक करने का प्रमुख तत्व है। शिक्षा प्रारंभिक अवस्था से ही बच्चे के व्यवहार, व्यक्तित्व और समायोजन क्षमता को बेहतर बनाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। हमारे देश में शिक्षा के विभिन्न चरण हैं, अर्थात प्राथमिक से उच्च शिक्षा, जहाँ प्रारंभिक शिक्षा शिक्षा प्रणाली का आधार स्तंभ है और इसे मजबूत आधार बनाने की आवश्यकता है। बिना किसी भेदभाव के प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने पूरे देश में स्कूली शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए NCERT, SCERT, SSA, NPE/POA, SSA आदि जैसी कई पहल की हैं। इन सभी पहलों के बाद भी, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में कुछ समस्याएँ हैं, जैसे बाल श्रम, परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, सामाजिक-सांस्कृतिक कारण, शिक्षा की गुणवत्ता, प्रासंगिक शिक्षा की गैर-मान्यता, स्कूल और उनके कार्य की अनुपलब्धता, माता-पिता की निरक्षरता, माता-पिता की जागरूकता की कमी, माता-पिता की गरीबी, बच्चों को घरेलू काम और भाई-बहनों की देखभाल में लगाना। अगर हम इन समस्याओं से निपटना चाहते हैं और इन पर विजय पाना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा की आवश्यकता और महत्व के प्रति जागरूक होना होगा। इसके लिए सरकार के साथ-साथ शिक्षकों, अभिभावकों, स्कूल के एसएमसी सदस्यों और समाज के शिक्षित युवाओं को मिलकर इन समस्याओं पर विजय पाने के लिए काम करना होगा।

आरटीई अधिनियम 2009 की विशेषताएं

भारतीय संसद ने शिक्षा प्रणाली की गिरती स्थिति और खराब शिक्षण परिणामों से निपटने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया। इस अधिनियम का उद्देश्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। भारत सरकार चाहती है कि लिंग, जाति, पंथ और पारिवारिक आय के बावजूद हर भारतीय बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई अधिनियम), 2009, एक भारतीय कानून है जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ और भारत को उन 135 देशों में से एक बना दिया, जिन्होंने शिक्षा को हर बच्चे के लिए मौलिक अधिकार बनाया है। यह प्राथमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम मानदंड निर्धारित करता है, गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को अभ्यास से रोकता है और प्रवेश के समय बच्चों के दान शुल्क और साक्षात्कार के खिलाफ वकालत करता है। आरटीई अधिनियम 2009 की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षाआरटीई अधिनियम में यह प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।

2. कोई भेदभाव नहीं: यह अधिनियम जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को शिक्षा तक समान पहुंच प्राप्त हो।
3. निजी स्कूलों के लिए कोटा: इस अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को समाज के वंचित वर्गों के छात्रों के लिए एक निश्चित प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होती हैं। समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए इन छात्रों को यादृच्छिक चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है।
4. पड़ोस के स्कूल: अधिनियम में इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकार को पड़ोस में पर्याप्त स्कूल स्थापित करने चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को अपने घर से उचित दूरी पर शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिले।
5. शिक्षा की गुणवत्तायह अधिनियम शिक्षकों की योग्यता, बुनियादी ढांचे और छात्र-शिक्षक अनुपात सहित स्कूलों द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंडों और मानकों को निर्धारित करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है।
6. स्कूल का बुनियादी ढांचा: स्कूलों को कुछ बुनियादी ढांचे के मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है, जिनमें उचित कक्षाएं, पुस्तकालय, खेल के मैदान, स्वच्छता सुविधाएं, पेयजल और विकलांग बच्चों के लिए बाधा-मुक्त पहुंच शामिल है।
7. शिक्षक योग्यताएंअधिनियम में शिक्षकों के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उनके पास आवश्यक प्रशिक्षण और कौशल उपलब्ध हों।
8. नो डिटेंशन पॉलिसी: इस अधिनियम में शुरू में "नो डिटेंशन पॉलिसी" नामक एक प्रावधान शामिल था, जो स्कूलों को प्राथमिक स्तर तक छात्रों को रोकने से रोकता था। हालाँकि, कुछ राज्यों में शिक्षा के घटते परिणामों की चिंताओं के कारण इस प्रावधान में संशोधन किया गया है।
9. सतत और व्यापक मूल्यांकन (सीसीई)यह अधिनियम परीक्षाओं पर भारी निर्भरता से हटकर, नियमित आधार पर छात्रों की प्रगति का आकलन करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रणाली को बढ़ावा देता है।
10. वित्तपोषण: केंद्र और राज्य सरकारें आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए धन मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें केंद्र सरकार अनुदान और सहायता के माध्यम से समर्थन प्रदान करती है।
11. समुदाय और माता-पिता की भागीदारीयह अधिनियम स्कूलों के कामकाज में अभिभावकों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, तथा स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देता है।
12. शिक्षक प्रशिक्षणयह अधिनियम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास की आवश्यकता पर बल देता है।
13. पाठ्यक्रम और शिक्षण का माध्यम: यह अधिनियम भाषाओं और संस्कृतियों की विविधता का सम्मान करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि जहां तक संभव हो, शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में हो।
14. बाल अधिकारों का संरक्षण: आरटीई अधिनियम में बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उन्हें शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से बचाने तथा सुरक्षित एवं अनुकूल शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के प्रावधान भी शामिल हैं।

भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कुछ प्रमुख विशेषताएँ ये हैं। यह सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त करने और शिक्षा प्रणाली में समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आरटीई अधिनियम 2009 की आलोचनाएँ और चुनौतियाँ

भारत में 2009 में लागू शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। हालाँकि इस अधिनियम को अपने उद्देश्यों के लिए समर्थन मिला है, लेकिन इसके कार्यान्वयन से जुड़ी कई आलोचनाएँ और चुनौतियाँ भी हैं:

1. शिक्षा की गुणवत्ता: शिक्षा का अधिकार अधिनियम की एक प्रमुख आलोचना यह है कि इसमें प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया है। यह अधिनियम मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, लेकिन शिक्षण की गुणवत्ता, बुनियादी ढाँचा और पाठ्यक्रम अक्सर अपर्याप्त होते हैं। कई स्कूलों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, उचित सुविधाओं, सुप्रशिक्षित शिक्षकों और प्रभावी शिक्षण विधियों का अभाव है।

2. धन की कमी: शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। आलोचकों का तर्क है कि सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों को पर्याप्त रूप से लागू करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित नहीं की है। धन की इस कमी के कारण अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण और आवश्यक शिक्षण सामग्री का अभाव हो सकता है।
3. निजी स्कूल और कोटा: शिक्षा का अधिकार अधिनियम निजी स्कूलों के लिए यह अनिवार्य करता है कि वे अपनी सीटों का एक निश्चित प्रतिशत आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए आरक्षित रखें। हालाँकि इस प्रावधान का उद्देश्य समावेशिता को बढ़ावा देना है, लेकिन इसकी आलोचना निजी स्कूलों की स्वायत्तता में बाधा डालने और उनकी वित्तीय व्यवहार्यता को प्रभावित करने के लिए की गई है।
4. शिक्षक गुणवत्ता और प्रशिक्षण: अधिनियम शिक्षक योग्यता और प्रशिक्षण पर ज़ोर देता है, लेकिन मौजूदा शिक्षक शिक्षा प्रणाली की कमियों के लिए आलोचना की जाती रही है। कई शिक्षकों के पास उचित प्रशिक्षण और योग्यता का अभाव है, जिसके कारण शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में गिरावट आ रही है।
5. उच्च छात्र-स्कूल छोड़ने की दर: अधिनियम के मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य के बावजूद, विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में, स्कूल छोड़ने की दर अभी भी उच्च है। गरीबी, बाल श्रम और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे जैसे कारक इस ड्रॉपआउट दर में योगदान करते हैं।
6. मानकीकृत पाठ्यक्रम: कुछ आलोचकों का तर्क है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मानकीकृत पाठ्यक्रम पर ज़ोर देता है, जो विभिन्न क्षेत्रों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों की विविध शिक्षण आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। यह एक ही नीति, छात्रों की व्यक्तिगत शिक्षण शैलियों और आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर सकती।
7. स्कूलों पर बोझ: कई स्कूल, खासकर ग्रामीण इलाकों में, अपने सीमित संसाधनों और बुनियादी ढांचे के कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में चुनौतियों का सामना करते हैं। अधिनियम की ज़रूरतें कभी-कभी स्कूलों पर अनुपालन संबंधी समस्याओं का बोझ डाल सकती हैं।
8. निगरानी और जवाबदेही का अभावअधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित निगरानी और जवाबदेही तंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हालाँकि, स्कूलों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मज़बूत निगरानी प्रणालियों और तंत्रों के अभाव की आलोचना की गई है।
9. बुनियादी ढांचे की कमी: अधिनियम में पर्याप्त बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने पर ज़ोर दिए जाने के बावजूद, कई स्कूलों में अभी भी कक्षाएँ, शौचालय, स्वच्छ पेयजल और खेल के मैदान जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इससे समग्र शिक्षण वातावरण और छात्रों के अनुभव में बाधा आ सकती है।

प्रारंभिक बचपन की शिक्षा का बहिष्कारआरटीई अधिनियम मुख्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा पर केंद्रित है, जिसका अर्थ है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (पूर्व-प्राथमिक) इसके प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आती। यह बहिष्कार बच्चे के समग्र विकास और औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए उसकी तैयारी को प्रभावित कर सकता है।

निष्कर्ष

भारत की प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली से जुड़ी सभी समस्याओं के समाधान हेतु आरटीई अधिनियम-2009 बनाया गया था। आरटीई अधिनियम के प्रावधानों में भारत में प्रारंभिक शिक्षा के गुणवत्ता मानकों में सुधार के लिए आवश्यक सभी कदम शामिल हैं। फिर भी, यह जानकर बहुत दुख होता है कि आरटीई अधिनियम के लागू होने के दस साल बाद भी, लोगों में इसके बारे में जागरूकता का अभाव है। न केवल समाज, बल्कि प्रधानाचार्य, शिक्षक और अधिकारी, जिनकी आरटीई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है, भी इसके बारे में जागरूकता का अभाव है।

संदर्भ

1. कपूर र. भारत में प्रारंभिक शिक्षा. 2018.
2. अग्रवाल ब, सिंह ह. भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में चुनौतियाँ: एसएसए (सर्व शिक्षा अभियान) का एक विश्लेषण. NAAS जर्नल. 2017. p. 138-143.
3. बिस्वास स. भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE अधिनियम 2009): एक आलोचनात्मक विश्लेषण, 2022.

4. ओझा ग. भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा की सार्वभौमिकता: वर्तमान स्थिति, 2021.
5. अमीन र. भारतीय शिक्षा: मुद्दे और चुनौतियाँ; असम में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर एक अध्ययन, 2021.

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.